उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-4/2016/305/तीस-4-2016-8(17)/2013
लखनउः दिनांकः 26 फरवरी, 2016

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-108 के उप नियम (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनिर्दिष्ट करते है कि उत्तर प्रदेश राज्य में शासकीय भ्रमण के दौरान नीली बत्ती के प्रयोग की सुविधा अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-354/तीस-4-2014-8(1)/2013, दिनांक 10 मार्च, 2014 में उल्लिखित अधिकारियों के अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को भी तदनुसार नीली बत्ती के प्रयोग की अनुज्ञा होगी।

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.305/XXX-4-2016-8(17)/2013, dated February 26, 2016

Notification

No.4/2016/305/XXX-4-2016-8(17)/2013
Lucknow: Dated: February 26, 2016

In exercise of the power under sub-rule (2) of rule 108 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 the Governor specifies and directs that the Managing Director, Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited is also permitted to use blue light accordingly in addition with the officers mentioned in notification no: 354/XXX-4-2014-8(1)/2013, dated March 10, 2014.

By Order,

(Kumar Arvind Singh Deo)
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-4/2016/305(1)/तीस-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 26 फरवरी, 2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 500-500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4 उ0प्र0 सचिवालय, बापू भवन, कक्ष संख्या-320 को तत्काल उपलब्ध करा दी जायें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-4/2016/305(2)/तीस-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
3- प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उ0प्र0।
4- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
8- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
9- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।